भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1471

दिनांक 01.01.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

मध्य प्रदेश के गांवों में पेयजल की कमी

1471. डा॰ सत्यनारायण जटियाः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में पेयजल की कमी का सामना कर रहे और अभावग्रस्त गांवों की संख्या का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष गहन ट्यूब वेल ड्रिलिंग कार्यक्रम के अधीन किन–किन गॉवों में कितने ट्यूबवेल की खुदाई वास्तव में की गई और कितने खुदाई हेतु प्रस्तावित हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के ऐसे गांवों की संख्या जो निम्न दर्शाई अवधि के दौरान गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी से प्रभावित हुए हैं, वो इस प्रकार हैः

वर्ष 2014-15. 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान (दिनांक 29.12.2017 की स्थिति के अनुसार) पेयजल की कमी का सामना कर रहे गांवों का ब्यौरा (जहाँ गर्मी के मौसम में लोड करके/यातायात के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की गई थी)			
क्र.सं.	वर्ष	प्रभावित बसावटों की संख्या	टिप्पणियां
1	2014-15	31	5 जिले में
2	2015-16	147	7 जिले में
3	2016-17	202	12 जिले में
4	2017-18	99	5 जिले में

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार की सूचना अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में कोई भी "गहन ट्यूब वैल खुदाई कार्यक्रम" नहीं है। तथापि, दी गई अवधि के दौरान राज्य में ट्यूब वैलों की खुदाई के माध्यम से पेयजल व्यवस्था का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

बसावटों का विवरण जहां वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान ट्यूब वैल की खुदाई द्वारा पेयजल हेतु व्यवस्थाएं की गई (दिनांक 29.12.2017 की स्थिति अनुसार)			
क्र.सं.	वर्ष	बसावटों की संख्या जहां हैण्ड पंप आधारित स्कीमों के लिए ट्यूब वैलों की खुदाई से पेयजल उपलब्ध कराया गया है	
		बसावटों का लक्ष्य	उपलब्धि
1	2014-15	8500	9645
2	2015-16	7500	9288
3	2016-17	6550	4660
4	2017-18	10075	7211